



अधिकारों और छूटों का कनेडियन अधिकार-पत्र

— कैनेडा क्योंकि सिद्धान्तों, जो प्रभु की मर्वोच्चता और कानून को मानते हैं, पर स्थापित हैं:

अधिकारों और छूटों की गारंटी

— 1 अधिकारों और छूटों का कनेडियन अधिकार-पत्र, इस में बताए गये कानून द्वारा नियत केवल योग्यता ऐसी सीमाओं में अधिकारों और छूटों की गारंटी कहता है। जो एक स्वतंत्र और प्रजातंत्रीय समाज में औचित्य स्वरूप प्रमाणित किए जा सकते हैं।

मूलभूत छूटें

— 2 प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित मूलभूत छूटें हैं: (अ) अंतःकरण और धर्म की छूट; (आ) प्रेस और संचार के अन्य माध्यम की छूट समेत विचार, विश्वास, गण और संघर्ष की छूट; (इ) शांतमर्थी समा भी छूट; (ओ) (ई) सम-समाज की छूट।

प्रजातंत्रीय अधिकार

— 3 कैनेडा के प्रत्येक व्यक्ति को लोक-सदन या विधान-सभा के सदस्यों के चुनाव में वोट देने का और उस में सदस्यता के योग्य होने का अधिकार है। 4 (1) इस के सदस्यों के आम चुनाव पर न्यायालय की वापसी की नियत तारीख से पांच वर्ष तक नालोक-सदन और नाहीं विधान-सभा जारी होनी चाहिए। (2) वास्तविक या युद्ध की अवश्यकता आवश्यक या विद्वान् के समय, लोक-सदन संसद द्वारा और विधान-सभा विधान-मंडल द्वारा पांच वर्षों से पहले चुनाव तक सकता है यदि ऐसे विधान का विरोध लोक-सदन या विधान-सभा के एक तिताहा में अधिक सदस्यों के बोटों द्वारा नहीं होता, जो भी उचित हो। 5 संसद तथा प्रत्येक विधान-मंडल की कम से कम प्रत्येक वारहवे महीने एक बैठक होनी चाहिए। पृष्ठ 2

आवागमन अधिकार

— 6 (1) कैनेडा के प्रत्येक नागरिक को प्रवेश होने, टिके रहने या कैनेडा छोड़ा का अधिकार है। (2) कैनेडा के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति को जिस के पास स्थायी निवासी होने का दर्जा है, अधिकार है। (3) किसी प्रांत में स्थान की समान लोक-सदन और समान लोक-सदन की अधिकार है। (4) उपधारा (2) में स्पष्ट किये अधिकारों की जात है। (5) किसी प्रांत में लाग हुए साधारण आवेदन के कानून या अमल, उनके अलावा वे जो मध्य तौर से संवितयों के मध्य वर्तमान या पिछले निवास के प्रांत के आधार पर भेदभाव करते हैं; और (6) सकार द्वाग पहुंचाइ सामाजिक सेवाओं तक पहुंचने की योग्यता के तोर पर योग्यता निवास या निवास में जीवन के अधिकार है। (7) किसी कानून, प्रोग्राम या गतिविधि जिसका मनोरथ किसी प्रांत में उस प्रांत के व्यक्ति, जो सामाजिक या अधिक तौर पर घाटे में हैं, के हालातों के बेहतर करना है, को परं नहीं करते यदि उस प्रांत में नौकरी की दर कैनेडा में नौकरी की दर से नीचे है।

कनूनी अधिकार

— 7 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की शक्ति का अधिकार है और मूलभूत न्याय के सिद्धान्त अनुसारता से परे उपर्युक्त अधिकार से विचित ना होने का अधिकार। 8 अनुचित तलाशी या ज़ब्बी के विरोध में सुरक्षित होने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। 9 प्रत्येक व्यक्ति को मनवाने द्वारा जीवन की शक्ति ना होने का अधिकार है। (अ) ज़ब्बी होने के बावजूद व्यक्ति से सुचित होने का: (आ) विना दील अधिकार करने और हितवाले के उपर उस के बावजूद व्यक्ति से सुचित होने का अधिकार है। (इ) बैंडी-प्रत्यावरीकाण करने के प्रमाण से बोध स्वन का निष्पत्य करने और रिक्त होने का आग बोध नियमक नहीं। 11 किसी जुर्म से अग्रेसित होए, किसी व्यक्ति को जीवन दील किये विशेष जुर्म संवितय सुनित होने का: (आ) योग्यता समय में मूकदमे के होने का: (इ) उस व्यक्ति के विस्तृद्वारा जुर्म संवितय कार्यवाही में गवाह होने से मजबूर ना करने का: (ई) किसी असमन तथा निष्पत्य न्याय-समा द्वाग एक न्यायिक कानून में वानूनामार कम्युनाय द्वाग होने तक निर्दोष माने जाने का: (उ) विना कानून अधीन किसी जुर्म के मामले में कोड संवितय-न्याय-समा मम्बूद्धि हुए मूकदमे, अदालती पंचायत द्वाग मूकदमे के लाभ प्रति जहाँ जुर्म की अधिक से अधिक मजाहद के लिये केंद्र या दोनों भागों का अनवाद मानन्य स्पष्ट है। (ए) किसी कार्य या भूल संवितय कम्युनाय ना पाया जाए, जब तक कार्य या भूल के संवितय कर्तीद्वय या अंतर्गत व्यक्ति कानून अधीनी कराने नहीं करते यदि जाए ये दोनों के संवितय द्वाग कानून के साधारण सिद्धान्तों के अनुसार अपार्थी हो; (ऐ) यदि अंत में जुम से



परिम्यतियों में उपयुक्त और न्यायसंगत विचारती है, प्राप्त करने हेतु समर्थ अधिकार-छूटों की अदालत में आवेदन कर सकता है। (2) जहाँ उपधारा (1) अधीन कायवाहियों में, कोड अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस अधिकार-पत्र द्वाग गारंटी किसी छूटों को तोड़े या इन्कार किये जाने की सूत में सबत प्राप्त हुआ है, खारज होना चाहिए यदि भिन्न हो जाए कि सभी परिम्यतियों संवितय व्यवहारियों में इसका प्रवेश न्याय के प्रशासन को अंशोभित करेगा।

साधारण

— 25 इस अधिकार-पत्र में कुछ अधिकारों या छूटों की गारंटी किसी आदिकारी, संघ या कैनेडा के अंदर-वासियों के अंदर-वासियों के द्वारा होने का अर्थ नहीं निकलना चाहिए, उन में (अ) जिन अधिकारों या छूटों को अक्टूबर 7, 1763 के शाही एलान द्वाग माना गया; और (आ) जिन अधिकारों या छूटों को जो आम भूमि वाले गजीनामों द्वाग अस्तित्व में हैं, या जिनको अंतित किया जा सकता है। 26 इस अधिकार-पत्र में अधिकारों या छूटों की गारंटी में कैनेडा में अन्य अधिकारों या छूटों की जिनका अस्तित्व है, के अस्तित्व की अवधिकृति जान नहीं निकलना चाहिए। 27 इस अधिकार-पत्र का कनेडियनों के बह-सामाजिक विवरण को कायवा रखने और बढ़ावे के समझ स्थान-मान चाहिए। 28 इस अधिकार-पत्र में प्रत्येक अवस्था में, इस में प्रयोग किया जा सकता है। 29 (1) कैनेडा की जनता में किसी व्यक्ति को प्रयोग किया जा सकता है। 20 (1) कैनेडा की जनता में किसी भी निर्दीपी तथा अप्रोट की व्यक्ति द्वारा की समय के समय तथा सजा के कम्युनाय प्रयोग किया जा सकता है। 21 (1) कैनेडा की समस्त व्यक्ति को अधिकार है। 13 कोड अवाह होने के बावजूद देता है, मिसान किसी मूकदमे में सचिव बोलने की कम्युनाय कार झूल बोलने के लिये या उल्लेदिए सबत के उपयोग से, उस गवाह पर विशेष कार्यवाही में निर्दोष सिद्ध करने वाले सबत होने का अधिकार है। 22 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 23 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 24 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 25 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 26 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 27 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 28 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 29 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 30 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 31 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 32 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 33 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 34 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 35 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 36 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 37 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 38 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 39 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 40 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 41 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 42 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 43 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 44 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 45 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 46 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 47 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 48 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 49 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 50 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 51 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 52 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 53 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 54 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 55 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 56 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 57 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 58 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 59 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 60 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 61 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 62 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 63 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 64 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 65 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 66 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 67 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 68 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 69 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 70 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 71 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 72 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 73 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन द्वारा गारंटी की व्यक्ति को अधिकार है। 74 (1) कैनेडा की जनता नालोक-सदन